ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00091

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03 / 17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

छगनलाल बजाज पुत्र श्री गोपीराम बजाज, जाति बजाज (अरोड़ा) पता वार्ड नं 13, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)– मै. शिवम स्वीटस, मेन बाजार, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 22.06.2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 28.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2016 को दोपहर 02:00 पी.एम. पर फर्म मै. शिवम स्वीटस, मेन बाजार, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री छगनलाल बजाज पुत्र श्री गोपीराम जाति बजाज (अरोड़ा) वार्ड नं 13, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, अनूपगढ मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को गोंदपाक, मावा, मिठाई, नमकीन आदि बनाकर बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ गोंदपाक (घी में निर्मित) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान के काउन्टर में स्टील की ट्रे में रखे गोंदपाक (घी में निर्मित) लगभग 5 किलो को विक्रय करते समय काम में आने वाले कौंचे से हिला मिलाकर एक रूप किया एवं इस एक रूप में किए हुए गोंदपाक में से 2 किलोग्राम गोंदपाक एक साफ सूखी खाली भिगोने में खरीदा, गोंदपाक (घी में निर्मित) की कीमत 520 रूपये अदा की एवं

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के जार में दिखाए, लेबल एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा गोंदपाक (घी में निर्मित) को चार प्लास्टिक के जारों में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक जार में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली एवं चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–724 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता छगनलाल बजाज ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3348/एक्ट/2016/1020 दिनांक 29.11.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–724 गोंदपाक (घी में निर्मित) **अमानक स्तर** (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री छगनलाल बजाज फर्म शिवम स्वीट्स मैन बाजार, अनूपढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गोंदपाक (घी में निर्मित) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस गोंदपाक का नमूना जांच हेतु लिया था उसमें देसी घी (पंजाब फ्रेश) काम में लिया था एवं अन्य सामग्री भी बाजार से खरीद कर काम ली थी, उसके द्वारा कोई मिलावट नहीं की थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार गोंदपाक सब–स्टेण्डर्ड पाया गया है। गोंदपाक बनाने के दौरान कोई गलती रह गई है उसे अभियुक्त ने स्वीकार किया है। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गोंदपाक (घी में निर्मित) सैम्पल के–724 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 3348 / एक्ट / 2016 / 1020 दिनांक 29.11.2016 द्वारा **सब स्टैण्डर्ड** होना पाया गया है। लिये गये सैम्पल में अपमिश्रण होना नहीं पाया गया है और न ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01– B.R.Reading of extracted fat at 40°C = 45.9 पाया गया जबकि B.R.Reading of extracted fat at 40°C – 40.0 to 43.0 (for Ghee) होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि बाजार से जो दूध आता है उस पर नियन्त्रण नहीं रहता है। अपमिश्रण नहीं किया गया है और न ही मानव जीवन के लिए हानिकारक है। भविष्य में गोंदपाक के लिए काम में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थो का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया गोंदपाक (घी में निर्मित) Sample of "Gondpak (Prep. in Ghee)" bearing Code No. and Sr. No. K-724 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Substandard Food under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री छगनलाल बजाज पुत्र श्री गोपीराम बजाज – फर्म शिवम स्वीट्स मैन बाजार, अनूपढ जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री छगनलाल बजाज पुत्र श्री गोपीराम बजाज को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में गोंदपाक बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर